काउंसिलिंग केन्द्रों में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाः–

पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चक्र हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि दिनॉक–08.9.2016 है। कम्बाईण्ड काउंसिलिंग एवं निजी क्षेत्र की सीटों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की व्यापक रूचि के कारण समस्त काउंसिलिंग केन्द्रों पर बड़ी संख्या में छात्र पंजीकरण करा रहें है। समस्त छात्रों को काउंसिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने एवं विशेष रूप से निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटन हेतु अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनॉक–13.9.2016 से दिनॉक–15.9.2016 तक समस्त काउंसिलिंग केन्द्रों पर विस्तारित प्रथम चक्र की काउंसिलिंग आयोजित की जायेगी, जिसमें अवशेष समस्त निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों पर आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जायेगा।

2– कल दिनॉक–07.9.2016 को की गयी घोषणा के अनुसार आज दिनॉक–08.9.2016 को सर्वप्रथम राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजों में विभिन्न आरक्षण श्रेणियों में उपलब्ध सीटों पर आवंटन/प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। तत्पश्चात् रैंक–4001 से पुनः रैंक कॉल की जायेगी तथा निजी क्षेत्र में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्रों की काउंसिलिंग कराई जायेगी।

3– मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार दिनॉक–09.9.2016 से दिनॉक–12.09.2016 तक आल–इण्डिया कोटा की काउंसिलिंग की कार्यवाही नई दिल्ली में सम्पन्न कराया जाना है। अतः प्रदेश के छात्रों को आल–इण्डिया की काउंसिलिंग में उपस्थित रहने हेतु अवसर दिये जाने के कारण इस दौरान काउंसिलिंग नहीं आयोजित कराई जायेगी। दिनॉक–09.9.2016 को आल–इण्डिया काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व राजकीय कालेजों की सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाना अनिवार्य है।

अतः आज दिनॉक–08.9.2016 को समस्त काउंसिलिंग केन्द्रों पर स्पाट–एडमीशन की व्यवस्था भी रखी गयी है। स्पाट एडमीशन के लिए छात्रों को मात्र निर्धारित राजकीय शुल्क नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिनॉक–08.9.

2016 के मध्य रात्रि 12.00 बजे के पूर्व काउंसिलिंग केन्द्रों पर खोली गयी एडमीशन पटल पर कराया जाना अनिवार्य है। स्पाट एडमीशन हेतु प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेख जमा करना अनिवार्य नहीं है। परन्तु आज दिनॉक–08.9.2016 को स्पाट एडमीषन की कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने के बाद दिनॉक–14.9.2016 तक आवंटित कालेजों में व्यक्गित् रूप से उपस्थित होते हुए मूल अभिलेखों को जमा करना अनिवार्य होगा।

4– दिनॉक–07.9.2016 के बाद अपंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा आज दिनॉक–08.9.2016 एवं दिनॉक–13.9.2016 से प्रारम्भ विस्तारित प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण करने की सुविधा होगी।

5– विस्तारित प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पृथक से आन–लाईन रजिस्ट्रेशन (रू0–800/–)की आवश्यकता नहीं है।

6– आज दिनॉक–08.9.2016 को मध्य रात्रि 12.00 बजे को काउंसिलिंग समाप्त कर दी जायेगी। राजकीय सीटों में आवंटन के पश्चात् रैंक–4001 से पुनः रैंक कॉल करते हुए मध्य रात्रि 12.00 बजे तक काउंसिलिंग कराई जायेगी। पुनः दिनॉक–13.9.2016 को आज के अन्तिम रैंक कॉल से काउंसिलिंग शुरू कराई जायेगी।

7– समस्त छात्रों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार अपनी–अपनी व्यवस्थाएँ करें।

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।